

4

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0ई0आर0 केश नं0-71/2016-17

मु0 जलील

बनाम

मु0 वासी मोहम्मद

16/08/19

—: आदेश :-

उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा दाखिल किया गया है। सुलहनामा आवेदन में उभय पक्ष के द्वारा उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्ष जमावंदी रैयत के वंशज हैं। तथ्यों की सही जानकारी नहीं होने पर आवेदक वाद आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

अतः वाद वापसी आवेदन के आधार पर वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है। लिखाया एवं शुद्ध किया।



अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।



अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।


पंजलि
द्वारा